फर्द अहकाम

मौलीराम आदि
राजेन्द्रलाल आदि बनाम ...आदि
...

न्यायालय ...

मिसल नं. 56/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	आदेश हेतु दिनांक 11/02/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
11/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षान पत्रावली आदेश के लिए उभय पक्षकान विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को श्रवण किया गया। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नियम से करने के तुरन्त बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

मिस
56/2

1.
2.

1.
2.
3
4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 56/2022 | तारीख दायर 22/03/2022 | तारीख फैसला 11/02/2025

1. रामजीलाल पुत्र हरबक्स
2. हीरालाल पुत्र हरबक्स

समस्त जाति माली निवासी ग्राम जमवारामगढ मालियों की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. नैन्छीराम पुत्र भैरूराम
2. बद्री पुत्र हरबक्स
3. बद्रीनारायण पुत्र जमनलाल
4. रामफूल पुत्र शंकरलाल

समस्त जाति माली निवासी ग्राम जमवारामगढ मालियो की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशन लाल :— वकील वादीगण।
श्री दीपचन्द महावर :— वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादीगण की ओर से एड0 श्री किशन लाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0800है0, खसरा नम्बर 99/627 रकबा 0.0400है0, खसरा नम्बर 85/622 रकबा 0.0600है0 वादी सं0 1 की भूमि एवं खसरा नम्बर 85/624 रकबा 0.0700है0, खसरा नम्बर 98/626 रकबा 0.0700है0, खसरा नम्बर 99/630 रकबा 0.0600है0 वादी सं0 2 की भूमि है जो कि ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है जो कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज स्थित है। जिस पर वादीगण कब्जा काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमियों पर कब्जा करने उतारू है और वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकीया देते है तथा पूर्व में दिनांक 02.10.2021 को प्रसाशन गांवों के संग अभियान में एक प्रार्थना पत्र सं0 42/2021 पेश कर व फर्जी समझौता पत्र के आधार पर वादीगण की भूमि में से रास्ता निकालने पर आमादा है तथा वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल

करने पर आमादा है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण वादीगण को काश्त करने में दखल उत्पन्न करते है और वादीगण के विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग में रोक टोक करते है तथा जबरन बिना किसी अधिकार के वादीगण की कब्जाशुदा भूमि में कब्जा करने पर आमादा है तथा जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है तथा वादीगण को भूमि से बेदखल करने की कोशिश करते है तथा वादीगण के उपयोग उपभोग व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे व कृषि कार्य मे बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण की भूमि में से किसी प्रकार का कच्चा पक्का रास्ता नही निकाले, रिकार्ड में किसी प्रकार से रास्ता नही कटावे वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपचन्द महावर ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 स्वयं उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण सं0 2, 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 2, 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रतिवादी सं0 1 ने वाद पत्र में जवाब नही पेश किया। अतः वकील प्रतिवादी सं0 1 का जवाब बन्द किया गया। वकील उभय पक्षो की बहस वाद पत्र पर सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षो की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जमवारामगढ, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0800है0, खसरा नम्बर 99/627 रकबा 0.0400है0, खसरा नम्बर 85/622 रकबा 0.0600है0 वादी सं0 1 की भूमि एवं खसरा नम्बर 85/624 रकबा 0.0700है0, खसरा नम्बर 98/626 रकबा 0.0700है0, खसरा नम्बर 99/630 रकबा 0.0600है0 वादी सं0 2 में वादीगण को उक्त भूमि पर काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करे, उक्त भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखल उत्पन्न नही करें, एवं अतिक्रमण नही करे, कब्जा करे, ना ही किसी प्रकार का रास्ता कटावें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर